

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक,  
सरकार के उप सचिव ।

सेवा मे,

डा० (श्रीमती) उषा अग्रवाल,  
वरीय चिकित्सा पदाधिकारी,  
फाइलरिया नियंत्रण इकाई,  
पटना पश्चिम (दानापुर), पटना ।

पटना, दिनांक :

विषय दिनांक ०१.०४.२०२६ से २६.०६.२०२६ तक निजी कारणों से विदेश (यू०एस०ए०) जाने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ-सह-राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (फाइलरिया नियंत्रण), बिहार, पटना के पत्रांक १३९ दिनांक ०९.०३.२०२६ के प्रसंग में नियमानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ दिनांक ०१.०४.२०२६ से २६.०६.२०२६ तक निजी कारणों से विदेश (यू०एस०ए०) जाने की अनुमति प्रदान की जाती है-

- (i) अवकाश अवधि का विस्तार अनुमान्य नहीं होगा ।
- (ii) प्रवास के दौरान धनोपार्जन हेतु अपने पेशे का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा ।
- (iii) यह यात्रा बिल्कुल निजी होगी तथा किसी भी तरह का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
- (iv) सभी तरह का व्यय स्वयं वहन करना होगा ।
- (v) प्रवास के दौरान किसी भी तरह का लेखे का भुगतान प्राप्त नहीं किया जायेगा ।
- (vi) डा० (श्रीमती) उषा अग्रवाल मुख्यालय छोड़ने के पूर्व अपने नियंत्री पदाधिकारी/विभाग को (यू०एस०ए०) प्रवास के दौरान सम्पर्क का पता एवं सम्पर्क नम्बर उपलब्ध करायेगे ।
- (vii) एतद्संबंधी अवकाश संचित उपार्जित अवकाश से सामाजित होगा ।
- (viii) विदेश यात्रा से लौटने के बाद अपने पार-पत्र की छाया प्रति विभाग को उपलब्ध करायेगे ।

०२ प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

ज्ञापाक :


प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमडल पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/ अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ-सह-राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (फाइलरिया नियंत्रण), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-२ एवं १७ स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

  
सरकार के उप सचिव